न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

"प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021"

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
47/2021	09.11.2021	09.11.2021

अनवान

1. माधवलाल पिता कालूराम जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

–प्रार्थी

बनाम

1. रामचन्द्र गाडरी पिता रूपा गाडरी उम्र वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. तलोकी पत्नि भेरा गाडरी आयु वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. बालूराम जाट पिता भैरूलाल जाट उम्र वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. चम्पालाल गाडरी पिता हरिराम गाडरी उम्र वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. नारायण गाडरी पिता हरिराम गाडरी उम्र वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. गेहरीलाल गाडरी पिता नन्दा गाडरी उम्र वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. रतनलाल गाडरी पिता नन्दा गाडरी उम्र वयस्क निवासी रोलिया तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

–अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– स्वयं प्रार्थी

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र रोलिया में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआर [illegible] प्रस्तुत किया। प्रार्थनापत्र बाद जॉच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रा[illegible] उप[illegible]। प्रार्थी के निवेदन पर बहस एक तरफा सुनी गई। जिसमें प्रार्थी [illegible] का है, जिसमें मात्र खातेदार अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन [illegible]ना चाहता है, प्रार्थी [illegible]या कि मौजा रोलिया पटवार हल्का रोलिया तहसील [illegible]पासन मे स्थित आ[illegible] संख्या 1421/227, 226 कुल किता 2 का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है तथा वह अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहते है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण

Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.04 15:52:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढ़ी /सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थी की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व प्रार्थी को सुना। प्रस्तुत खाते की नकल सम्वत् 2074 – 2077 तक के मुताबिक उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है जो अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/ सीमांकन कराना चाहती है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावें। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा रोलिया पटवार हल्का रोलिया तहसील कपासन मे स्थित आराजी संख्या 1421/227, 226 कुल किता 2 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.04 15:52:59 IST
Reason: SelfAttested